

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.01.2021 जनपद देवरिया।

थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 25000रु0 इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना तरकुलवा पर वादी रमायण जायसवाल पुत्र स्व0 सुन्दर निवासी-गढ़रामपुर थाना-तरकुलवा जनपद-देवरिया की तहरीर के आधार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-13/2020 धारा-323,387,392, 507 भादंसं का अभियोग अभियोग अभियुक्त कमलेश्वर सिंह उर्फ अप्पु पुत्र उदय प्रताप राव निवासी-मुण्डेरा बाबू थाना-तरकुलवा जनपद-देवरिया के विरुद्ध पंजीकृत है, अभियुक्त जनपद देवरिया से 25,000रु0 पुरस्कार घोषित अभियुक्त है। दिनांक 09.01.2021 को प्रभारी निरीक्षक तरकुलवा मय टीम वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम गढ़रामपुर के पास से अभियुक्त कमलेश्वर सिंह उर्फ अप्पु पुत्र उदय प्रताप राव निवासी-मुण्डेरा बाबू थाना-तरकुलवा जनपद-देवरिया उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त थाना तरकुलवा का हिस्ट्रीशीटर है एवं थाना तरकुलवा पर लूट, मार-पीट, रंगदारी आदि कुल 13 अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01.कमलेश्वर सिंह उर्फ अप्पु पुत्र उदय प्रताप राव निवासी-मुण्डेरा बाबू थाना-तरकुलवा जनपद-देवरिया गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

- (1) 93 / 13 धारा 394,411 भा0दं0सं0
- (2) 209 / 13 धारा 147,323,504,506 भा0दं0सं0(1)10 एससी/एसटी एक्ट
- (3) 49 / 15 धारा 323,504,506 भा0दं0सं0,
- (4) 04 / 16 धारा 395,307,323,504,506 भा0दं0सं0,
- (5) 647 / 15 धारा 110जी,
- (6) 47 / 15 धारा 3 / 4 गुण्डा एक्ट,
- (7) 50 / 15 धारा 323,504,506 भा0दं0सं0
- (8) 97 / 15 धारा 323,504,506 भा0दं0सं0
- (9) 38 / 16 धारा 323,504,506 भा0दं0सं0
- (10) 40 / 16 धारा 323,504,506 भा0दं0सं0
- (11) 33 / 16 धारा 147,323,504,506,395 भा0दं0सं0
- (12) 98 / 19 धारा 504,506,507,387 भा0दं0सं0
- (13)13 / 20 धारा 323,387,392, 507 भा0दं0सं0

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 01.प्रभारी निरीक्षक प्रदीप शर्मा थाना तरकुलवा देवरिया,
- 02.उ0नि0 राधेश्याम चौधरी थाना तरकुलवा देवरिया,
- 03.कां0 रवि सिंह थाना तरकुलवा देवरिया,
- 04.कां0 राजन सिंह थाना तरकुलवा देवरिया
- 05.म0कां0 गौरी सिंह थाना तरकुलवा देवरिया।